[1][धारा 9ख : इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 9 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे किसी कर के संदाय के लिए, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम और रीति विहित कर सकेगी।]

---

1 संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33) द्वारा धारा 9ख अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।